OTS-2020 में आवेदन हेतु प्रकिया

Step-1 :ओ.टी.एस. वेबसाइट के मुख्य पेज पर नेवीगेशन मीनू (नेवीगेशन बार) पर जायें और ''**HOME**'' के बाद दिये गये मीनू आइटम '' **DOWNLOADS**'' जो कि निम्न प्रकार दिखाई देगा

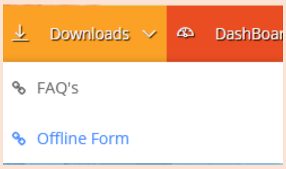

उक्त में से ''**Offline Form**'' को डाउनलोड कर लें।

Step-2 :डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़े जिससे आपको यह पता चल सके कि आवेदन फार्म में क्या–क्या सूचनायें माँगी गई हैं तथा क्या दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

Step-3 :यदि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो उपरोक्त ''**STEP-2**'' में डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म को भरकर तथा उसके साथ जमा धनराशि की रसीदों की छायाप्रति तथा आवंटन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्राधिकरण कार्यालय में स्वंयम् जाकर, प्रोसेसिंग फीस व डाउनपेमेंट के साथ जमा करायें।

Step-4 :ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको मुख्य पेज पर नीचे की ओर ग्रीन कलर का ''**Click Here to Apply**'' बटन, जो निम्न प्रकार दिखाई देगा, को दबाना होगा तत्पश्चात आपके सम्मुख सभी विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद का लोगो आ जावेगा। आपको अपना अभिकरण डबल किल्क करना होगा।

Step-5 : ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आपको मुख्य पेज पर मीनू आइटम ''**CREATE LOGIN**'' अथवा लाल रंग में ''**REGISTER YOURSELF**'' का बटन, जो कि निम्न प्रकार दिखाई देगा, के द्वारा सर्वप्रथम अपना लॉगिन बनाना होगा तत्पश्चात, आपको अपना यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड देकर लॉगिन करना होगा।

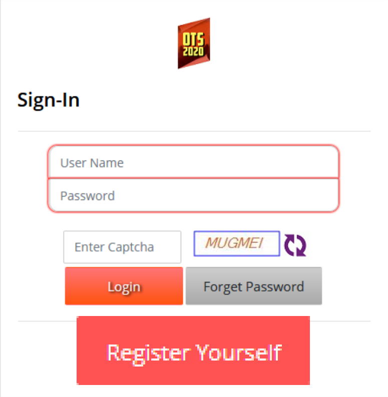

Step-6 : यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको निम्न दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी ''**pdf or JPG**'' में तैयार रखनी चाहिए :–

(अ) जमा की गई धनराशि की रसीदें।

(ब) आवंटन पत्र।

उक्त दस्तावेजों को अपलोड करते समय, दर्शायी गई श्रेणी में ही अपलोड करें।

रसीदों की संख्या एक से अधिक की स्थिति में सॉफ्ट कॉपी को सिर्फ '' **pdf** '' में ही तैयार करें।

Step-7 : ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदक के मोबाइल/ईमेल पर एक **OTP (One Time Password)** आयेगा जिसको कम्प्यूटर में दर्ज करना/कराना आवश्यक होगा तभी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। यदि मोबाइल पर **OTP** आने में देरी हो या नेटवर्क की समस्या के कारण कोई **OTP** नहीं आये तो आवेदक द्वारा अपने रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से भी **OTP** प्राप्त किया जा सकता है।